उच्च न्यायालय उत्तराखंड

नैनीताल

न्यायमूर्ति श्री एस. के. मिश्रा, ए.सी.जे. एवं

न्यायमूर्ति श्री आर. सी. खुल्बे, जे.

रिट याचिका (एस/बी) संख्या 280/2020

01 अप्रैल, 2022

अनीता शर्मा ....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ...प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता अधिवक्ता : विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष गर्ग

उत्तराखंड राज्य के लिए अधिवक्ता : विद्वान अधिवक्ता श्री एस. एस. चौधरी एवं विद्वान संक्षिप्त धारक।

प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के अधिवक्ता : विद्वान अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री रफत मुनीर अली

अली

प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता : विद्वान अधिवक्ता श्री अजय वीर पुंडीर

विद्वान् अधिवक्ता को सुनने के बाद, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया गया।

निर्णय : (श्री एस. के. मिश्रा, एसीजे के द्वारा)

इस मामले में, याचिकाकर्ता ने 24.08.2020 के आक्षेपित आदेश, संलग्नक संख्या 1, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 ने याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है, को रद्द करने और खारिज करने के लिए एक रिट जारी करने का अनुरोध किया है। वह हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (जिसे बाद में संक्षिप्तता के लिए विश्वविद्यालय कहा गया है) से संबद्ध बीएसएम (पीजी) कॉलेज, रुड़की रुड़की की प्रबंधन समिति द्वारा पारित आदेश की प्रहार करती है।

2. मामले के तथ्य इस स्तर पर विवाद में नहीं हैं। याचिकाकर्ता को जिला सहारनपुर (अब हरिद्वार) में रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज में में अंग्रेजी में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। 09 नवम्बर, 2000 को उत्तराखंड राज्य के गठन के पश्चात बीएसएम (पीजी) कॉलेज, रुड़की उत्तराखंड राज्य के भीतर कार्य कर रहा था। बीएसएम (पीजी) कॉलेज, रुड़की, जिला हरिद्वार की प्रबंधन समिति द्वारा 19.01.2015 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ कथित कदाचार के के संबंध में एक जांच समिति का गठन किया गया था। यह आरोप था कि याचिकाकर्ता ने कॉलेज में अनुपस्थित रहने के दौरान 30-31 मार्च, 2012 को लैंसडाउन में एक सेमिनार में भाग लिया और स्टेशन से बाहर होने के बावजूद प्रासंगिक उपस्थिति रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर किए। यद्यपि इस तरह की जांच कभी भी अपने तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। 11 फरवरी, 2019 को, प्रतिवादी संख्या 10 ने दिनांक 11.02.2019 को एक पत्र संख्या 236/2018-19 भेजा जिसमें

कहा गया था कि उसने उक्त कॉलेज की प्रबंधन समिति के सचिव को एक रिपोर्ट दी थी। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता को ठीक से नहीं सुना गया और प्रतिवादी संख्या 10 के समक्ष उसके मामले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया गया। 16 फरवरी, 2019 को याचिकाकर्ता ने, पीड़ित होने के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 10 से जानकारी मांगी। 20.08.2020 को, पहली बार, याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें 21 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था। 21 अगस्त, 2021 को याचिकाकर्ता प्रिंसिपल के समक्ष पेश हुई और अपना बचाव करने के लिए 15 दिनों का समय देने का अनुरोध किया। 24.08.2020 को, जांच समिति ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया। इसलिए, यह रिट याचिका।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष गर्ग द्वारा दिए प्राथमिक तर्क निम्नलिखित है:-

पहला, इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा पारित आदेश रद्द और खारिज किये जाने योग्य है।

दूसरा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश, जो प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा पारित किया गया है, क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर (de hors jurisdiction) है। चूंकि याचिकाकर्ता की सेवा शर्तों का मार्गदर्शन करने वाले नियम अनिवार्य सेवानिवृत्ति की किसी सजा का प्रावधान नहीं करते हैं।

4. बेशक, इस मामले में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड याचिकाकर्ता को कथित रूप से उत्तर प्रदेश मौलिक नियम, 1942, से प्रदत्त अधिकारिता का उपयोग करते हुए दिया जाता है, जैसा कि उत्तराखंड राज्य पर लागू है (यहां से आगे संक्षिप्तता के लिए नियमों के रूप में में संदर्भित)। यद्यपि, उत्तराखंड राज्य ने अपने प्रति-हलफनामा मे पैराग्राफ संख्या 6 में कहा है कि मौलिक नियम निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों/कॉलेजों पर लागू नहीं होते हैं, बल्कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों पर लागू होते हैं। उठाए गए अभिवचनों पर ध्यान देना उचित है। यह निम्नानुसार हैः-

> 6. यह कि रिट याचिका के पैरा संख्या 14 से 22 की सामग्री के जवाब में, यह स्वीकार किया जाता है कि उत्तर प्रदेश मौलिक नियम, अध्याय-II, वित्तीय हैंड बुक के भाग-2 से 4 का नियम 56 (सी) मात्र सरकारी कर्मचारी के संबंध में लागू होता है। संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए कानून द्वारा शासित निजी सहायता प्राप्त कॉलेज के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी। चूंकि बीएसएम (पीजी) कॉलेज, रेलवे रोड, रुड़की, जिला हरिद्वार हरिद्वार हेमवती नंदन बहुगुणा (केंद्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर, श्रीनगर, गढ़वाल से संबद्ध एक गैर-सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज है, इसलिए कॉलेज हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल के कानून द्वारा शासित है।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश, दिनांक 24.08.2020 के संदर्भ संख्या 57/2020-21 में, और प्रतिवादी संख्या 7, यानी सचिव, अपंजीकृत प्रबंधन समिति, बीएसएम (पीजी) कॉलेज, रेलवे रोड, जिला हरिद्वार, हरिद्वार, पृष्ठ संख्या 6, पैराग्राफ 3 में उल्लेख किया गया है कि श्रीमती अनीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएसएम (पीजी) कॉलेज,

रेलवे रोड, रुड़की द्वारा जानबूझकर किए गए अपराध की पुष्टि पर, उन्होंने अपने शैक्षणिक और वित्तीय अनियमितताओं (उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि में वृद्धि) में, कॉलेज प्रबंधन समिति और कॉलेज प्रिंसिपल प्रिंसिपल के विरुद्ध अनुचित दबाव डालने के लिए झूठी और भ्रामक शिकायतें की हैं, जो दर्शाती हैं कि हेमवती नंदवन बहुगुणा (केंद्रीय विश्वविद्यालय), श्रीनगर के सेवा नियमों का भी उल्लंघन किया गया गया है। उनके इस तरह के कार्यों से कॉलेज के अनुशासन और प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर उसकी सेवाओं को समाप्त करने और उसे सेवा से हटाने के लिए पर्याप्त आधार है।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि याची के विरुद्ध आरोप हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर परिनियमावली, 2000 2000 के अंतर्गत विरचित किए गए थे, और यू. पी. मौलिक नियम, अध्याय-II, भाग-2 से 4 के नियम 56 (सी) से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए थे।

उत्तर प्रदेश मौलिक नियम, अध्याय-2, वित्तीय पुस्तिका के भाग-2-4 की धारा 56 (ग) में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं:-

> (ग) खंड (क) या खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी भी सरकारी कर्मचारी कर्मचारी (चाहे स्थायी हो या अस्थायी) को नोटिस द्वारा, बिना कोई कारण बताए, उसे पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पश्चात सेवानिवृत्त होने के लिए कह सकता है या ऐसा सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस द्वारा [पैंतालीस वर्ष] की आयु प्राप्त करने के पश्चात या बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने

करने के पश्चात किसी भी समय स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है।

धारा 56 (सी) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह मात्र सरकारी कर्मचारी (चाहे स्थायी हो या अस्थायी) पर लागू होता है। इसके अग्रेतर सरकारी कर्मचारी को उत्तर प्रदेश मौलिक नियम, अध्याय-II, वित्तीय हैंडबुक के भाग-2-4 के नियम 9 (7-बी) में परिभाषित किया गया है।

नियम 9 (7-ख) में यह उपबंध है किः

सरकारी सेवक इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत है भारत में राज्य सरकार से किसी सिविल पद या सिविल सेवा में नियुक्त और उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाला व्यक्ति, जिसकी सेवा की शर्तें अधिनियम की धारा 241 (2) (2) (ख) से राज्यपाल द्वारा विहित की गई हैं या विहित की जा सकती हैं।

इसलिए सरकारी सेवक इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत है:

एक व्यक्ति जिसकी नियुक्ति -

(i) कोई सिविल पद या कोई सिविल सेवा

(ii) भारत में राज्य सरकार के अंतर्गत; और

(iii) उत्तर प्रदेश में सेवा से संबंधित मामलों में;

(iv) जिनकी सेवा की शर्तें राज्यपाल द्वारा विहित की गई हैं या की जा जा सकती हैं।

कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश मौलिक नियम, अध्याय-2, वित्तीय पुस्तिका के भाग-2 से 4 के प्रयोजन के लिए एकमात्र सरकारी कर्मचारी होता है जब वह उक्त नियमों के नियम 7 (बी) में उल्लिखित उल्लिखित मात्र चार शर्तों को पूरा करता है। यद्यपि वर्तमान मामले में, हालांकि याचिकाकर्ता एक सिविल पद धारण कर रही है, लेकिन वह एक सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए, नियम 56 (सी) याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश मौलिक नियम और नियम 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1975 के नियम 7 (बी) की एक सही प्रति इसके साथ दाखिल की जा रही है और इस हलफनामे के अनुलग्नक सीए-3 (कोली) के रूप में चिन्हित किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के मामले को विकसित करने वाले विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता श्री पीयूष गर्ग, द्वारा तर्क किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 49 (ओ) (जिसे इसमें इसमें संक्षिप्तता के लिए अधिनियम कहा), कानूनों, अध्यादेशों और विनियमों का प्रावधान करती है। जो इस प्रकार हैः-

> **धारा 49 (o)**-विश्वविद्यालय या किसी संबद्ध या संबद्ध कॉलेज कॉलेज के वेतनभोगी कर्मचारियों (शिक्षक नहीं) की अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधान और उनकी सेवा का अभिलेख तैयार करने और रखरखाव सहित सेवा की संख्या, न्यूनतम योग्यता और अनुभव, परिलब्धियां और अन्य शर्तें।

6. अधिनियम की धारा 50 के साथ सपठित धारा 49 कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल ने 25 जून, 1978 की अधिसूचना द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के प्रावधानों के अनुसरण में हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, 1978 का पहला कानून (इसमें जिसे संक्षिप्तता के लिए 'पहला कानून' कहा गया है) प्रकाशित किया।

7. यह पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं है कि दोनों दोनों पक्षों , कॉलेज और कर्मचारी, याचिकाकर्ता सहित, अधिनियम और पहले कानून द्वारा मार्गदर्शित हैं।

8. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रथम कानून के अध्याय 17, भाग-1 में संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तों का उपबंध किया गया है। हमने विनियम 17.01 से 17.11 की सावधानीपूर्वक जांच की है और हमें नहीं लगता कि विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी सहायता सहायता प्राप्त कॉलेज के प्रबंधन के पास अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने का अधिकार है।

9. स्वीकार्यता, ऐसा प्रावधान मात्र मौलिक नियमों में ही उपलब्ध है, न कि विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन करने वाले नियमों में। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 35 सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षणीय कॉलेजों से अलग संबद्ध या संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों की सेवा की शर्तों का प्रावधान करती है। उपधारा (2) में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा किसी शिक्षक को पदच्युत करने या हटाए जाने या उसे पद से हटाए जाने या किसी अन्य रीति से दंडित करने के प्रत्येक विनिश्चय के बारे में उसे सूचित किए जाने से पूर्व कुलपति को सूचित किया जाएगा और वह

तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे कुलपति द्वारा अनुमोदित अनुमोदित नहीं कर दिया जाता हैः बशर्ते कि अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट, किसी भी शिक्षक को बर्खास्त करने, पद से हटाने या पद में घटाने या किसी अन्य तरीके से दंडित करने के प्रबंधन के निर्णय के लिए कुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसे सूचित किया जाएगा और जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तो निर्णय को प्रभावी नहीं किया जाएगा।

10. इसलिए, इस मामले में श्री अजय वीर पुंडीर, प्रतिवादी संख्या १० के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि कि कॉलेज के प्रबंधन द्वारा ली गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को को कभी भी विश्वविद्यालय के कुलपति के पास नहीं भेजा गया। इससे इससे भी कम, सेवानिवृत्ति के माध्यम से ऐसे हटाए जाने के लिए उनकी सहमति लेना अनिवार्य है।

11. इस प्रकार मामले को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह माना गया मत है कि प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकारिता से बाहर है, और इसलिए, उसे खारिज किया जाना चाहिए।

12. श्री अजय वीर पुंडीर की वैकल्पिक दलील यह है कि अधिनियम की धारा 60-एफ के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया गया था, और चूंकि याचिकाकर्ता

को वेतन के भुगतान के लिए राज्य खजाने पर कर लगाया जा रहा है, इसलिए मौलिक नियम याचिकाकर्ता पर लागू होंगे।

13. हम श्री पुंडीर की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि एक कर्मचारी की सेवा नियमावली जो निर्देशित और विनियमित है, जो कानून बनाए गए हैं या अपनाए गए हैं मात्र इसलिए कि कुछ व्यक्तियों के वेतन का भुगतान सरकारी खजाने से किया जा रहा है, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने वाला नियम ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

14. इसके अलावा, नियम को सरकारी सेवक पर लागू करने के लिए बनाया गया है, और सरकारी सेवक को नियम द्वारा ही परिभाषित किया गया है। नियम 9 का खंड (7-बी) इन नियमों के उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारी को परिभाषित करता है। इसका अर्थ है कि भारत में राज्य सरकार के अधीन किसी सिविल पद या सिविल सेवा में नियुक्त और उत्तर प्रदेश (अब उत्तराखंड) के मामलों के के संबंध में सेवा करने वाला व्यक्ति, जिसकी सेवा की शर्तें राज्यपाल द्वारा अधिनियम की धारा 241 (2) (बी) के से निर्धारित की गई हैं या की जा सकती हैं।

15. हमारा मत है कि याचिकाकर्ता सिविल सेवक नहीं है। उन्हें कभी भी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सिविल पद या सिविल सेवा में नियुक्त नहीं किया गया था। इसके बजाय, वह निजी रखरखाव वाले कॉलेज की प्रबंधन समिति लेकिन राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली समिति द्वारा नियुक्त की गई थी।

16. इस प्रकार मामले के दृष्टिकोण में, यद्यपि विद्वान अधिवक्ता श्री अजय वीर पुंडीर, द्वारा दिया तर्क आकर्षक प्रतीत होता होता है, किंतु अंतिम विश्लेषण में यह पर्याप्त नहीं है।

17. मामले का दूसरा पहलू यह है कि याचिकाकर्ता को कभी भी अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया गया। जैसा कि हमने पहले इंगित किया है कि 20.08.2020 को, याचिकाकर्ता को पहली बार, 21.08.2020 को दोपहर 12.00 बजे, प्रिंसिपल, यानी प्रतिवादी संख्या 10 के समक्ष पेश होने के लिए एक नोटिस दिया गया था। उस दिन उसने अपना बचाव करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा। यद्यपि 24.08.2020 को, उसे एक अवसर दिए बिना, कॉलेज के प्रबंधन ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया। हमारे मत में यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। यह कॉलेज प्रबंधन की ओर से अधिनायकवादी रवैये को भी दर्शाता है।

18. इस प्रकार मामले को देखते हुए, हम इस रिट याचिका में पर्याप्त योग्यता पाते हैं। इसलिए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। है। दिनांक 24.08.2020 के आदेश को रद्द करते हुए रिट ऑफ सर्टीयोरारी जारी की जाती है।

19. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि जब प्रारंभिक चरण में यह मामला इस न्यायालय के समक्ष आया, तो इस न्यायालय ने 29.09.2020 के एक अंतरिम आदेश के आधार पर कहा कि मौलिक नियम वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है, और इसलिए आदेश पर रोक लगा दी गई। प्रबंधन समिति ने स्पेशल लीव टू अपील (सी) सं. 11960/2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप नहीं

किया, लेकिन इस न्यायालय को रिट याचिका को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया। यद्यपि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रत्यर्थी (यहां याचिकाकर्ता) 29.09.2020 के अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन के लिए दबाव नहीं डालेगा।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, और उसे कोई वेतन भी नहीं दिया गया है।

21. इस प्रकार मामले को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को तुरंत सभी पारिणामिक सेवा लाभों के साथ कार्य आदेश दिया जाए। यद्यपि, इस आदेश से सेवानिवृत्ति में उसकी उचित आयु प्राप्त करने पर कोई बाधा नहीं आएगी।

22. नियमों के अनुसार, इस आदेश की तत्काल प्रमाणित प्रति पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को जारी की जाए।

(एस. के. मिश्रा, एसीजे)

(आर. सी. खुल्बे, जे।)

दिनांकः 01 अप्रैल, 2022

निशांत